न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 12 / रेगूलर / 2025 (GCMS No. 2025 / 89)	14.07.2025	23.12.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,
रसद कार्यालय, हिण्डोली

– प्रार्थी

बनाम

राधेश्याम जांगिड आ. गोपाललाल जांगिड,
मैसर्स लक्ष्मी किराना स्टोर, रानीपुरा,
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी की ओर से श्री संजय जैन एडवोकेट।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशा.) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 12 / 2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025 / 89 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी जर्ये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आकर दौराने बहस स्वयं के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के अप्रार्थी को सिपुर्द करते हुए कार्यवाही को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 17.04.2025 को प्रवर्तन अधिकारी हिण्डोली द्वारा मैसर्स लक्ष्मी किराणा स्टोर, रानीपुरा तहसील हिण्डोली के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर रखे मिले। मौके पर उपस्थित राधेश्याम जांगिड पुत्र गोपाललाल जांगिड से घरेलू सिलेण्डर के उपयोग के संबंध में जानकारी करने पर अप्रार्थी राधेश्याम द्वारा बालाजी एचपी गैस एजेन्सी गोठडा से इकरार एवं बालाजी एचपी द्वारा बीसी दिये जाने के विषय में बताया। अप्रार्थी के पास तय सीमा से अधिक गैस सिलेण्डर रखने का कारण जानने पर उसके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अतः तय सीमा से अधिक गैस सिलेण्डरों के अवैध भंडारण के कारण उक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 28.4 किग्रा. गैस (एचपीसीएल कंपनी) को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से गैस एजेंसी मैसर्स अरूण गैस ऐजेन्सी, बून्दी के प्रतिनिधि श्री कन्हैया लाल गुर्जर की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों मय सामग्री को राजसात किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दौराने कार्यवाही अप्रार्थी ने गैस एजेन्सी मैसर्स बालाजी एचपी गोठडा से अधिकृत बी.सी. ले रखी है, जिसको एचपी सखी के नाम से जाना जाता है और जो सिलेण्डर वहां पर रखे हुए थे, उन्हें गैस एजेन्सी के द्वारा निर्देशित नियमानुसार संबंधित ग्राहकों को दिया जाना था, इस स्थिति में जो कार्यवाही की गयी वह पूर्णतया गलत है और नियमानुसार एचपी गैस एजेन्सी, मैसर्स बालाजी एचपी गैस एजेन्सी की अधिकृत सखी होने के कारण जब्तशुदा सिलेण्डर प्रार्थी को रिलीज किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस अप्रार्थी को सिपुर्द किए जाने के आदेश फरमावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से भण्डारण किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान पेश तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन गैस कि.ग्रा.
1	0064173S	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
2	0014543	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
3	00214457	HPCL	14.2 कि.ग्रा.

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी